

न्यायालय आदेश संख्या 23/11/2018

न्यायालय उपजिलाधिकारी सोरांव इलाहाबाद।

वाद सं० 36 वर्ष 2018 धारा 143 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधि०
मौजा- टिकरी परगना- नवाबगंज तहसील - सोरांव जनपद - इलाहाबाद।
संजय कुमार शुक्ल वनाम सरकार

आदेश

प्रस्तुत वाद धारा 143 ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधि० के अंतर्गत श्री संजय कुमार शुक्ल पुत्र श्री श्रीकान्त शुक्ल, प्रबन्धक, सत्यम् पब्लिक एजुकेशनल सोसाइटी टिकरी परगना नवाबगंज तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम टिकरी स्थित गाटा सं०-613 रकबा 0.1142 हे० एवं गाटा सं०-614 रकबा 0.9550 हे० कुल रकबा 1.0692 हे० सत्यम् पब्लिक एजुकेशनल सोसाइटी 9/9/1ए लूकरगंज के नाम दर्ज है। जिसे अकृषिक/आवासीय घोषित करने का अनुरोध जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार तहसील दार सोरांव के माध्यम से जाँच करायी गयी नायब तहसीलदार नवाबगंज की आख्या 11.10.2018 में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी अराजी उपरोक्त का संकमणीय भूमिधर है, उपरोक्त अराजी 613 एवं 614 के कुल रकबा 1.0692 हे० पर सत्यम् पब्लिक एजुकेशनल सोसाइटी का भवन निर्मित है और अकृषिक प्रयोजन में लायी जा रही है। नायब तहसीलदार नवाबगंज द्वारा उक्त भूखण्ड सं० 613 एवं 614 रकबा 1.0692 हे० को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। नायब तहसीलदार नवाबगंज की आख्या 26.10.2018 को तहसीलदार सोरांव द्वारा 26.10.2018 को अग्रसारित किया गया है। जाँच आख्या सहित पत्रावली प्रस्तुत होने पर नामिका वकील गॉव सभा से आख्या प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। उन्होने अपनी आख्या दिनांक 28.10.2018 में उल्लेख किया है कि भूमि नगर महापालिका/आवास विकास प्राधिकरण की सीमा से काफी दूर स्थित है तथा उक्त भूखण्ड को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अडचन नहीं है। मैने पत्रावली का विधिवत अवलोकन किया विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। विवादित भूमि में कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा आवासीय उपयोग में लायी जा रही है।

अतः मौजा टिकरी परगना नवाबगंज तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद स्थित गाटा सं० 613 रकबा 0.1142 हे० एवं 614 रकबा 0.9550 हे० जिस पर विद्यालय भवन निर्मित है के सम्पूर्ण रकबा 1.0692 हे० को अकृषिक घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाता है तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो आदेश की प्रति उपनिबंधक सोरांव को भेजी जाय।

मिरस्त
मिरस्त
मिरस्त
मिरस्त

प्रार्थना पत्र देने की तिथि..... 22-11-2018
तैयारी करने की तिथि..... 22-11-2018
पत्र जारी करने की तिथि..... 23-11-2018

23/11/18

23/11/18
उपजिलाधिकारी सोरांव
इलाहाबाद

TRUE COPY
23/11/18